

THE UTTAR PRADESH SALES TAX (AMENDMENT AND VALIDATION)
ACT, 1970

(U. P. Act No. 2 of 1970)

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Bikri kar (Sanshodhan...
Tatha Vaidhikaran) Vidhayak, 1970]

AN
ACT

Further to amend the U. P. Sales Tax Act, 1948 and to validate certain action
taken thereunder

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as
follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment and
Validation) Act, 1970.

Short title.

2. In section 3-A of the U. P. Sales Tax Act, 1948, hereinafter referred
to as the principal Act, in sub-section (1)—

Amendment of
section 3-A of
U. P. Act XV of
1948.

(i) for the words "at such single point in the series of sales by successive
dealers as the State Government may specify", the words "at such single
point of sale as the State Government may specify, and such declaration
may be made notwithstanding that the goods or class of goods are not
capable of being sold, or according to prevalent commercial practice are
not ordinarily sold, at more than one point" shall be substituted and
be deemed always to have been substituted ;

(ii) at the end, the following Explanation shall be inserted, and be deemed
always to have been inserted, namely :—

"Explanation—For the purposes of this sub-section, ornamented or
cut-glass bangles shall be deemed to be different from plain glass
bangles, and accordingly, nothing in this sub-section shall be con-
strued to prevent the imposition, levy or collection of the tax at the
specified point of sale of ornamented or cut-glass bangles merely
because tax had been imposed, levied or collected earlier at the speci-
fied point of sale of those glass bangles in their plain form."

3. In section 3-D of the principal Act, in sub-section (1), the existing
Explanation shall be numbered as Explanation I, and after Explanation I as so
numbered the following Explanation shall be inserted and be deemed always to
have been inserted, namely :—

Amendment of
section 3-D.

"Explanation II—For the purposes of this sub-section, split or processed
foodgrains, such as in the form of dal, shall be deemed to be different
from unsplit or unprocessed foodgrains, and accordingly, nothing in this
sub-section shall be construed to prevent the imposition, levy or collection
of the tax in respect of the first purchases of split or processed foodgrains
merely because tax had been imposed, levied or collected earlier in respect
of the first purchases of those foodgrains in their unsplit or unprocessed
form."

4. For section 4-A of the principal Act, the following section shall be
substituted, namely :—

Substitution of
new section for
section 4-A.

"4-A. (1) Notwithstanding anything contained in section 3 or section
3-A, the State Government may, if it is of opinion as specified in sub-
section (2), by notification in the Gazette declare in respect of any goods
that the turnover by the manufacturer thereof shall, during such period,
not exceeding five years as may be specified, be exempt from sales-tax or
be liable to tax at such reduced rate as it may fix.

*For Statement of Objects and Reasons, please see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary,
dated March 3, 1970.

(2) A declaration under sub-section (1) may be made if the State Government is of opinion that it is necessary so to do for—

(a) increasing the production of the specified goods, or

(b) promoting the development of such industrially backward districts as the State Government may by notification in the *Gazette* specify from time to time.

(3) It shall be lawful for the State Government to grant exemption from tax or reduction in rate of tax—

(a) under clause (a) of sub-section (2) generally in respect of all such goods manufactured subsequent to the date of the notification under sub-section (1); or

(b) under clause (a) or clause (b) of sub-section (2) in respect of such of those goods only as are manufactured in a new unit which goes into production after such date, whether before or after the date of the notification under sub-section (1), and within such period, as may be specified.

Explanation—For the purposes of this section, 'new unit', means a factory or workshop using machinery, accessories or components not already used or acquired for use in any other factory or workshop in Uttar Pradesh, but does not include any factory or workshop established on the site of an existing factory or workshop manufacturing the same goods or any addition to or extension of an existing factory or workshop."

Substitution of
new section for
section 7-D.

5. For section 7-D of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"7-D. *Composition of Tax Liability*—(1) Any dealer whose turnover in an assessment year does not exceed Rs.25,000 may apply, before the expiry of the first quarter of the assessment year, to the assessing authority to permit him to pay, in lieu of the tax payable by him under this Act, an amount by way of composition, hereinafter referred to as the composition fee, and the assessing authority shall, if it is satisfied that the turnover is not likely to exceed Rs.25,000, allow him to do so :

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the following classes of dealers, namely :—

(a) manufacturers of goods other than goods which the State Government may by notification in the *Gazette* specify in that behalf ;

(b) dealers importing from outside Uttar Pradesh goods in respect of which a notification under section 3-A, section 3-AA or section 3-D is for the time being in force declaring that the turnover in respect of those goods shall not be liable to tax except at the single point of sale by an importer ;

(c) casual dealers.

(2) The composition fee shall be determined at the rate of 2 per cent of the turnover of the dealer, to be determined in such manner as may be prescribed, during the assessment year.

(3) The assessing authority shall make a detailed survey of the premises of the dealer (that is to say, any office, shop, godown, vessel or vehicle in which the goods or books, documents or accounts maintained by the dealer in the ordinary course of his business are kept) before passing an order determining the composition fee payable by him.

(4) If on the basis of such survey or of any other information received the assessing authority is satisfied that the dealer's turnover is likely to exceed Rs.25,000 or that the dealer belongs to a class specified in the proviso to sub-section (1), the assessing authority shall reject the application of the dealer for composition and make an assessment of tax in accordance with the provisions of this Act.

(5) A dealer who has been allowed to pay composition fee in lieu of tax shall maintain vouchers in respect of all purchases made by him during the year and shall also maintain records showing therein the daily totals of the sales made by him.

(6) The composition fee determined under this section shall be deemed to be the tax payable by the dealer for all purposes of this Act and shall, in particular, be realisable in the same manner as tax assessed under the Act."

6. After section 12 of the principle Act, the following section shall be inserted and be deemed always to have been inserted, namely—

Insertion of new section 12-A.

"12-A. *Burden of proof*—In any assessment proceedings, when any fact is specially within the knowledge of the assessee, the burden of proving that fact shall lie upon him, and in particular, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the exceptions, exceptions or reliefs mentioned in section 3-A, section 3-D, section 4, section 4-A, section 4-B or section 7-D shall lie upon him and the assessing authority shall presume the absence of such circumstances".

7. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court or tribunal to the contrary, every notification issued or purporting to have been issued under section 3-A or section 3-D of the principal Act before the commencement of this Act shall be deemed to have been issued under that section as amended by this Act and shall be so interpreted and be deemed to be and always to have been as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times, and accordingly, anything done or any action taken (including any order made, proceeding taken, jurisdiction exercised, assessment made, or tax levied, collected or paid, purporting to have been done or taken in pursuance of any such notification) shall be deemed to be, and always to have been, validly and lawfully done or taken.

Validation.

8. The Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment and Validation) Ordinance, 1970 is hereby repealed.

Repeal of U. P. Ordinance No. 2 of 1970.

उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1970)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11-3-1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 20-3-1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

(भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 22-3-1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22-3-1970 ई० को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश विक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० का अग्रतर संशोधन करने और तदधीन किये गये प्रतिपय कृत्यों का वैधीकरण करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश विक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1-क में उपधारा (1) में—

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० 15, 1948 ई० की धारा 3-क का संशोधन

(1) शब्द "क्रमानुगत व्यापारियों द्वारा विक्रियों के क्रम में किसी भी ऐसी विक्री को छोड़ कर जिसे राज्य सरकार निदिष्ट करे" के स्थान पर शब्द "सिवाय विक्री के एक ऐसे स्थल पर, जिसे राज्य सरकार निदिष्ट करे" और शब्द "कर नहीं लगेगा", के पश्चात् कामा तथा शब्द "और ऐसी घोषणा इस बात के होते हुए भी की जा सकती है कि उस माल या उस वर्ग के माल की एक से अधिक स्थल पर विक्री सम्भव नहीं है अथवा वह प्रचलित व्यापारिक प्रथा के अनुसार एक से अधिक स्थल पर साधारणतया नहीं बेचा जाता" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें ;

(2) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाये, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये अलंकृत या कटावदार कांच की चूड़ियां, सादी कांच की चूड़ियों से भिन्न समझी जायेंगी, और तदनुसार, इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि अलंकृत या कटावदार कांच की चूड़ियों की विक्री के निदिष्ट स्थल पर केवल इस कारण कर आरोपित करने, लगाने या वसूल करने पर रोक है कि सादे रूप में कांच की उन चूड़ियों की विक्री के निदिष्ट स्थल पर पहले ही कर आरोपित, लगाया या वसूल किया जा चुका था।"

3—मूल अधिनियम की धारा 3-घ की उपधारा (1) के वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात् :—

धारा 3-घ का संशोधन

"स्पष्टीकरण 2—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये विखंडित या संसाधित अनाज, जैसे कि दाल के रूप में, ऐसे अनाज से, जो अविखंडित या असंसाधित हो, भिन्न समझे जायेंगे और तदनुसार इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि विखंडित या संसाधित अनाज के प्रथम क्रय के सम्बन्ध में केवल इस कारण कर आरोपित करने, लगाने या वसूल करने पर रोक है कि अविखंडित या असंसाधित रूप में उन अनाजों के प्रथम क्रय के संबंध में पहले ही कर आरोपित, लगाया या वसूल किया जा चुका था।"

4—मूल अधिनियम की धारा 4-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

धारा 4-क के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

"4-क (1) धारा 3 या धारा 3-क में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की उपधारा (2) में यथानिदिष्ट राश हो तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी माल के सम्बन्ध में यह घोषणा कर सकती है कि उस माल के

निर्माता का विक्रय धन पांच वर्ष से ऐसी अनधिक अवधि के दौरान जो निर्दिष्ट की जाय, विक्री-कर से मुक्त रहेगा या उस पर ऐसी कम दर से कर देय होगा, जिसे राज्य सरकार निश्चित करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा तब की जा सकती है यदि राज्य सरकार की राय में--

(क) निर्दिष्ट माल का उत्पादन बढ़ान के लिये ; या

(ख) औद्योगिक रूप से पिछड़े ऐसे जिलों का, जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे, विकास करने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो।

(3) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह--

(क) सामान्यतया सभी उपरोक्त माल के सम्बन्ध में जो उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक के पश्चात् निर्मित किया गया हो, उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन कर से छूट दे या कर की दर में कमी कर ; या

(ख) उपरोक्त माल में से केवल ऐसे माल के सम्बन्ध में जो ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाय व किसी ऐसी इकाई में जिसमें ऐसे दिनांक के पश्चात्, जो दिनांक उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक के पूर्व या पश्चात् हो सकता है व जो निर्दिष्ट किया जाय, उत्पादन प्रारम्भ हो, निर्मित किया जाय, उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कर से छूट दे या कर की दर में कमी करे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये 'नयी इकाई' का तात्पर्य किसी ऐसे कारखाने या कर्मशाला से है जिसमें ऐसी मशीन, उपसाधनों या संघटक पुर्जों का प्रयोग होता हो जो उत्तर प्रदेश में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में पहले से ही प्रयोग में न लाये गये हों और न उसमें प्रयोग किये जाने के लिये अर्जित किये गये हों, किन्तु इसके अन्तर्गत वही माल निर्माण करने वाले किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के स्थल पर स्थापित कोई कारखाना या कर्मशाला या किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला का कोई परिवर्द्धन या प्रसार सम्मिलित नहीं है।

धारा 7-घ के
स्थान पर नयी
धारा का रखा
जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 7-घ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :-

"7-घ - (1) कोई व्यापारी जिसका विक्रय धन किसी कर निर्धारण वर्ष में 25,000 रुपये से अधिक न हो, कर निर्धारण वर्ष की कर दायित्व के सम्बन्ध में राजीनामा प्रथम तिमाही की समाप्ति के पूर्व कर निर्धारक अधिकारी को यह आवेदन दे सकता है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय कर के बदले में उसे राजीनामों के रूप में धनराशि, जिसे राजीनामा शुल्क कहा गया है, देने की अनुज्ञा दी जाय, और यदि कर निर्धारक अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि विक्रय धन 25,000 रुपये से अधिक होने की सम्भावना नहीं है तो वह ऐसा करने की अनुज्ञा दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित वर्गों के व्यापारियों पर लागू न होगी, अर्थात् :-

(क) उन माल से, जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे, भिन्न माल के निर्माता ;

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर से ऐसे माल का, जिनके सम्बन्ध में धारा 3-क, 3-कक या धारा 3-घ के अधीन विज्ञप्ति इस घोषणा के साथ तत्समय प्रवृत्त हो कि उस माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर कर, सिवाय आयातकर्ता द्वारा विक्री के प्रथम स्थल पर, देय नहीं होगा, आयात करने वाले व्यापारी ;

(ग) अनियमित व्यापारी।

(2) राजीनामा शुल्क कर निर्धारण वर्ष में व्यापारी के विक्रय धन, जो ऐसी रीति से अवधारित किया जायगा जो नियत की जाय, के 2 प्रतिशत की दर से अवधारित किया जायगा।

(3) कर निर्धारक अधिकारी, व्यापारी द्वारा देय राजीनामा शुल्क अवधारित करने का आदेश देने के पूर्व उसके भू-गृहादि का (अर्थात् कोई ऐसा कार्यालय, दुकान

गोदाम, यान-पत्र या गाड़ी जिसमें व्यापारी अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में साधारण-तया माल या बहियां, लेख पत्र या लेखा रखता हो) विस्तृत रूप से सर्वेक्षण करेगा।

(4) यदि ऐसे सर्वेक्षण या प्राप्त किसी अन्य सूचना के आधार पर कर निर्धारक अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि व्यापारी का विक्रय धन 25,000 रुपये से अधिक होने की सम्भावना है या व्यापारी उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किसी वर्ग का है तो कर निर्धारक अधिकारी राजीनामे के लिये व्यापारी का आवेदन-पत्र अस्वीकार कर देगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कर का निर्धारण करेगा।

(5) कोई व्यापारी जिसे कर के बदले में राजीनामा शुल्क देने की अनुज्ञा दी गयी हो, वर्ष के दौरान अपने द्वारा किये गये सभी ऋय के सम्बन्ध में वाउचर रखेगा और ऐसे अभिलेख भी रखेगा जिसमें वह अपने द्वारा की गयी बिक्री का दैनिक योग लिखेगा।

(6) इस धारा के अधीन अवधारित राजीनामा शुल्क इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिये व्यापारी द्वारा देय कर समझा जायगा और, विशेष रूप से, वह उसी रीति से वसूल किया जा सकेगा जैसे कि अधिनियम के अधीन निर्धारित कर।”

6—मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात् :—

नयी धारा 12-क का बढ़ाया जाना

“12-क—किन्हीं कर निर्धारण कार्यवाहियों में, जब कोई तथ्य विशेषतः कर-दाता के ज्ञान में हो तो उस तथ्य को साबित करने का साबित करने का भार उसी पर होगा, और विशेष रूप से, ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो मामले को धारा 3-क, धारा 3-घ, धारा 4, धारा 4-क, धारा 4-ख या धारा 7-घ में उल्लिखित किसी भी अपवाद, छूट या मुक्ति के अन्तर्गत लाती हो, उसी पर होगा, और कर निर्धारक अधिकारी ऐसी परिस्थितियों के अभाव को उपधारण करेगा।”

7—किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 3-क या धारा 3-घ के अधीन जारी की गयी या तात्पर्यित प्रत्येक विज्ञप्ति इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त धारा के अधीन जारी की गयी समझी जायगी और उसका इस प्रकार निर्वचन किया जायगा और वह वैध समझी जायगी व सदैव से वैध समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे, और तत्सुसार ऐसी विज्ञप्ति के तात्पर्यित अनुसरण में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई क्रिया (जिसके अन्तर्गत कोई दिया गया आदेश, की गयी कार्यवाही, क्षेत्राधिकार का प्रयोग, किया गया कर निर्धारण या लगाया गया, वसूल किया गया या दिया गया कर भी है) जो ऐसी विज्ञप्ति के अनुसरण में वैध रूप से और विधिवत् किया गया या की गयी और सदैव वैध रूप से या विधिवत् किया गया या की गयी समझी जायगी।

वैधीकरण

8—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उ० प्र० अध्यादेश 24, 1970 का निरस्तन